

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ4(ई)अलेसे-III / 03

दिनांक :- 03.06.2025

कार्यालय आदेश

निम्नांकित नव-नियुक्त कनिष्ठ लेखाकारों (परिवीक्षाधीन, प्रशिक्षणार्थी) को उनके आवेदन के अनुसरण में अग्रिम अध्ययन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	रोल नम्बर	नाम क0 लेखाकार (श्री/श्रीमती/शुश्री)	पाठ्यक्रम का नाम एवं सत्र	संस्थान जिससे पाठ्यक्रम किया जाना है/ परीक्षा आयोजक संस्था	पदस्थापन कार्यालय
1	729232	गजेन्द्र सैनी	एम.ए. फॉर्मल (राजनीति विज्ञान) - 2025 (स्वयं पाठी)	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	राजकीय सामुदायिक केन्द्र, विराटनगर (कोटपूतली-बहरोड)
2	741179	गिरिशान्त	एम.एस.सी. प्रीवियस (गणित) - दिसम्बर, 2024 (दूरस्थ शिक्षा)	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	राजकीय सामुदायिक केन्द्र, कैथून (कोटा)
3	757929	गोविन्द अग्रवाल	एम.ए. प्रीवियस (अर्थशास्त्र) - 2025 (स्वयं पाठी)	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण, जयपुर
4	763150	गोविन्द सिंह ढाका	एम.ए. प्रीवियस (साइक्लोजी) - 2025 (स्वयं पाठी)	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	अति. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, उदयपुर
5	711402	हिमांशु गौड़	एम.ए. प्रीवियस (इतिहास) सत्र 2024-2025 (स्वयं पाठी)	महाराजा सूरजमल वृज विश्वविद्यालय, भरतपुर	सीबीईओ, समसा, बाड़ी
6	717487	हीना	एम.ए. फॉर्मल (इतिहास) - 2025 (स्वयं पाठी)	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	कोषालय, हनुमानगढ़
7	775601	जयपाल सिंह	यू.जी.सी. नेट जून 2025	राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी	अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जोधपुर
8	736057	कुशल कुमार शर्मा	एम.एस.सी.प्रीवियस (गणित) - 2024-2025 (दूरस्थ शिक्षा)	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, लवाण (दौसा)
9	750387	कुलदीप	एम.ए. प्रीवियस (राजनीति विज्ञान) - 2025-2026 (स्वयं पाठी)	राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर	अधी.खनि.अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, भरतपुर
10	756471	कुलदीप शर्मा	एम.कॉम (सेमिस्टर प्रथम एवं द्वितीय) सत्र-2025-26 (दूरस्थ शिक्षा)	सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, जयपुर	उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, कोटा
11	765534	कल्पना वर्मा	एम.एस.सी. फॉर्मल (गणित) - 2025 (स्वयं पाठी)	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 आपका पदस्थापन मुख्यालय से परिवर्तित/ स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

- 3 प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
- 4 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 5 उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 6 अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और अस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 7 अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/ व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 8 अध्ययन वर्ष में उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/ विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
- 9 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 10 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।



(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ4(ई)अलेसे-III/ 03

दिनांक :- 03.06.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित विभाग/ कार्यालय (तालिका के कॉलम 6 के अनुसार)।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)